दिनांक- 10.09.2008 को आहूत न्यासी पर्षद, मुख्य मंत्री राहत कोष की बैठक की कार्यवाही :-

1. मुख्य मंत्री, बिहार
2. माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
3. मुख्य सचिव, बिहार
4. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
5. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
7. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार
8. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार
9. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार
10. सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार
11. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार

आज की बैठक की कार्यावली के अनुसार विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

1. गत बैठक दिनांक 28.06.2008 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई ।
2. मुख्य मंत्री राहत कोष में प्राप्त राशि एवं वितरित राशि का प्रतिवेदन न्यासी पर्षद के समक्ष उपस्थापित किया गया ।

   इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया कि कोशी में वर्तमान वर्ष में आई बाढ़ के दौरान प्राप्त राशि का हिसाब-किताब अलग रखा जाय। इसके लिए 20.08.2008 को Cut off Date रखा जाय। पर्षद द्वारा इसे अनुमोदित किया गया।
3. जिन मामलों में मार्गदर्शिका के अनुरूप सदस्य सचिव द्वारा राशि स्वीकृति की गई है उससे संबंधित सूची पर्षद के समक्ष सूचनार्थ उपस्थापित की जाय। इसमें घटनोत्तर अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
4. दिनांक 28.06.2008 के उपरान्त राज्य के 50 निर्धन सह मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता की स्वीकृत राशि- 9,12,724/- रू0 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
5. जिला लखीसराय-9, जिला पटना-20 एवं जिला जमुई के सिकंदरा में -33, हुई वाहन दुर्घटनाओं में 62 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000/- रू0 प्रति मृतक की दर से स्वीकृत राशि- कुल- 31,00,000/- रू0 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
6. वर्ष 2008 के बाढ़ से प्रभावित लोगों (जिला सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया एवं पूर्णिया) के लिए निम्नांकित सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई :-

   (क) बिहार सरकार द्वारा आयोजित कैंपों में ठहरे लोगों को बर्तन, कपड़े खरीदने के लिए 250/-रूपये (दो सौ पचास रूपये) प्रति व्यक्ति (बिना किसी उम्र सीमा के) स्थानीय क्रय कर दिया जायगा। यह राशि संबंधित जिला पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी जो सामग्री बाढ़ पीड़ितों को कैम्प में वितरण करेंगे।

(ख) बाढ़ प्रभावित पाँच जिलों के सरकारी विद्यालयों में नामांकित कक्षा एक से बारहवीं तक के प्रत्येक छात्र/छात्राओं को 1000रू0 (एक हजार रूपये) शिक्षा सामग्री कय करने के लिए 1000 रूपये नगद दिए जाने के संदर्भ में निर्णय हुआ कि मानव संसाधन विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग आकलन कर लें कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र के लक्ष्य समूह के छात्रों की संख्या कितनी होगी एवं तदनुसार इस बिन्दु पर पर्षद की अगली बैठक में विचार किया जाय ।

(ग) उपर्युक्त जिलो में बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिविरों में जन्मी लड़की को 11,000/—(ग्यारह हजार रूपये) तथा लड़के को 10,000/--(दस हजार रूपये) देने की स्वीकृति दी गई। यह राशि उन मामलों में भी देय होगी जिनमें शिविर में रह रही माता को चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार अस्पताल में भेजा जाय और प्रसव अस्पताल में हो। यह राशि जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी । जिला पदाधिकारी अपने स्तर से इस राशि का वितरण करेंगे ।

7. इस वर्ष बाढ़ 2008 में हुई मृत्यु में मृतकों के आश्रितों को प्रति मृतक 50,000/— की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।

8. यह निर्णय लिया गया कि मुख्य मंत्री राहत कोष आन्तरिक मार्ग दर्शिका की कंडिका 2 (ख) (उच्च शिक्षा के लिए) एवं 2 (क) (प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए मापदंड) के अनुरूप मुख्य मंत्री राहत कोष की सहायता राशि (उच्च शिक्षा हेतु) उन व्यक्तियों को दी जाय जिनकी अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रू0(एक लाख रूपये) तक हो । अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी।

9. श्री चंचल कुमार, मुख्य मंत्री के सचिव के स्थान पर श्री एस0 सिद्धार्थ, मुख्य मंत्री के सचिव को सदस्य सचिव, न्यासी पर्षद मुख्य मंत्री राहत कोष नामित करने के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

ह0/—
सचिव,
मुख्य मंत्री
सचिवालय

ह0/—
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

ह0/—
प्रधान सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय
विभाग

ह0/—
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण
विभाग

ह0/—
प्रधान सचिव,
मानव संसाधन
विकास विभाग

ह0/—
प्रधान सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग

ह0/—
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग

ह0/—
महामहिम राज्यपाल
के प्रधान सचिव

ह0/—
मुख्य सचिव,
बिहार

ह0/—
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

ह0/—
मुख्य मंत्री,
बिहार

ज्ञापांक–सा0–30 / 2005– 4701849 / मु0मं0स0, पटना, दिनांक– 29-09-2008, 2008.

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के आप्त सचिव
2. माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
3. मुख्य सचिव, बिहार
4. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
5. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
7. प्रधान् सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार
8. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
9. सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार

29/9/08

(एस0 सिद्धार्थ)
सदस्य सचिव,
मुख्य मंत्री राहत कोष–सह–सचिव,
मुख्य मंत्री सचिवालय,
बिहार, पटना ।